श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सहरसा।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सहरसा।

विशेष वाद संख्या–347/2012

राज्य (द्वारा) बिजेन्द्र पासवान

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

अशोक मिस्त्री एवं 03 अन्य

.....अभियुक्तगण

10.07.2026 अभियुक्तगण क्रमशः 1. अशोक मिस्त्री 2. वोकिल मिस्त्री 3. सोकिल मिस्त्री प्रतिनिधित्व आवेदन पर है। अभियुक्त बुच्ची मिस्त्री अनुपस्थित है।

अभियोजन की ओर से कुल पॉच अभियोजन साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन की ओर से साक्षी प्रस्तुत करने का कथन नहीं किया गया।

अभिलेख देखने से प्रतीत होता है कि वाद 14 वर्ष पुराना है। दिनांक 27.11.2012 को इस वाद के अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 के तहत आरोप का गठन किया गया था इस वाद में अभियोजन के द्वारा कुल पॉच अभियोजन साक्ष्य परीक्षित कराया गया है। सभी अभियोजन साक्षी क्रमशः 1. नरेश पासवान 2. राजो सादा 3. भुटो सादा 4. सुगंधी साह 5. जयजयराम शर्मा ने न्यायालय में स्पष्ट कथन किया कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ एवं पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये और समय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभिलेख पर विधिक साक्ष्य की कमी के कारण इस वाद के सभी अभियुक्तों को उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरापों से दोष मुक्त करते हुए उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्रों के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम